(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)
अपील संख्या : 140 / 2023 (11 / 63 / 2023)
तारीख रजू : 20.09.2023 (27.07.2023) निर्णय दिनांक : 14.08.2024

1. राजाबाला सैनी पत्नी सुगन सैनी जाति माली निवासी शाहजहांपुर तहसील नीमराणा जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड। .....अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार नीमराणा, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. महेश कुमार पुत्र दिनेश कुमार जाति अहीर निवासी शिवदानसिंहपुरा तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड। .....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय इंतकाल संख्या 3946 ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराणा दिनांक 08.02.2022 न्यायालय तहसीलदार नीमराणा।

उपस्थित अधिवक्तागण :–
01. श्री राजपाल यादव – वकील अपीलान्ट
02. श्री सुरेन्द्र सिंह यादव – वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 02

–:: निर्णय ::–

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 20.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इंतकाल संख्या 3946 दिनांक 08–02–2022 को स्वीकार किया गया है तथा इतकाल स्वीकार करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को कोई साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। चूँकि कथित बयनामा के वक्त जो राशि रेस्पाडेन्ट सं. 02 द्वारा अपीलान्ट को जरिये चैक दी थी उसका भुगतान बाचालाकी छलकपट करते हुए धोखाधडी से वापिस रेस्पाडेन्ट सं. 02 द्वारा प्राप्त कर ली थी। मिन अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 1880 रकबा 0.419 हैक्टेयर वाके ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराणा के 1 / 2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। मिन अपीलान्ट को पैसो की आवश्यकता के लिए उक्त जमीन का बेचान कृष्णलाल यादव को 50,00,000 / – रूपये शब्देन पचास लाख रूपये मे जरिये इकरारनामा दिनांक 20–10–2015 को किया था तथा वक्त इकरारनामा एडवांस के तौर पर पर 25,00,000 / – रूपये प्राप्त किये थे जो राशि मिन अपीलान्ट के पति के खाता संख्या 61061308930 में दिनांक 21–05–2015 को जमा करवा दी थी। इसके कुछ दिन पश्चात कृष्णलाल यादव व दीपक शर्मा, सुधीर यादव वकील मिन अपीलान्ट के घर आये और कहने लगे कि हमें सौदा नही करना है और उन्होने कहा कि हमें उक्त सौदा नही करना है तथा वक्त इकरारनामा दिये गये साई के पैसे वापिस मांगे जिस पर दिनांक 06–11–2015 को मिन अपीलान्ट के पति सुगन सैनी के खातो से उक्त 25 लाख रूपये निकलवा कर वापिस कर दिये और असल इकरारनामा फाड दिया। इसके पश्चात मिन अपीलान्ट से उक्त व्यक्तियों ने साजिश करते हुए और सभी जानकारी छुपाते हुए दूसरा ग्राहक बताकर महेश कुमार यादव रेस्पाडेन्ट सं. 02 जो सुधीर यादव का भान्जा लगता है उक्त जमीन का बेचान किया तथा 21,56,000 / – रूपये प्राप्त कर लिये। यह कि उक्त सुधीर यादव व कृष्ण यादव खूखार किस्म के आदमी है तथा मिन अपीलान्ट द्वारा रेस्पाडेन्ट सं. 02 से सौदा करने के कारण सुधीर यादव व कृष्ण यादव ने मिन अपीलान्ट व उसके पति व परिवारजन को धमकाना शुरू कर दिया तथा दिनांक 08–12–2015 को फोन करके कहा कि जमीन का सौदा कृष्णलाल यादव से किया था उन्हे ये जमीन दो वर्ना मैं तुम लोगो का जीना हराम कर दूगा जिस पर मिन अपीलान्ट व उसके

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

पति ने कहा कि हमने तो कृष्णलाल यादव को उनकी नीमराणा स्थित फक्ट्री में जाकर पैसे वापिस कर दिये तो उसने कहा कि हमसे बहरोड स्थित न्यायालय में मिलो। जिस पर मिन अपीलान्ट अपने पति व पुत्र के साथ दिनांक 09–12–2015 को सुधीर यादव वकील से न्यायालय पारिसर बहरोड में मिले तो उसने हमें गालियां दी और हमें धमकाया कि तुम्हे अभी गिरफतार करवाता हूँ। मेरी यहा सभी से जान पहचान है। तथा सुधीर यादव और कृष्णलाल यादव तथा उनके साथ उदयसिंह ने मिन अपीलान्ट के पुत्र को पकड लिया तथा मिन अपीलान्ट के पति से कहा कि 25 लाख रूपये लाओं नही तो जान से मार देगें। जिस पर अपीलान्ट व उसके पति घबरा गये तथा उन्हे 17,50,000/– रूपये दे दिये जिस पर सुधीर यादव वकील ने कहा कि पांच लाख रूपये देवे लेकिन उस समय अपीलान्ट व उसके पति के पास रूपये नही थे जिस पर उक्त लोगो ने कहा कि नकद रूपये नही है तो हमें चैक दो वर्ना हम तुम्हे छोडेंगें नही तथा हमें उक्त लोगो से जान का खतरा होने पर एक पांच लाख रूपये का चैक संख्या 116016 एस बी बी जे बैंक शाखा शाहजहांपुर दिनांक 09–12–2015 का सुधीर कुमार यादव के को दे दिये। जिसका भुगतान बैंक में प्रार्थना पत्र देकर रूकवा दिया। उक्त सम्बन्ध में अभियुक्तो के खिलाफ पुलिस थाना बहरोड में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सख्या 894/2015 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 386, 477, 327, 330, 201, 109, 120 बी आई पी सी के तहत दर्ज करायी जिसमें बाद अनुसंधान मुकामी पुलिस द्वारा कृष्णलाल यादव, व अन्य के खिलाफ सक्षम अदालत में चार्ज शीट पेश की गई है। इस प्रकार जो प्रतिफल रेस्पाडेन्ट सं.2 द्वारा दिया गया था वह वापिस प्राप्त कर लिया तथा उक्त बयनामा साजिश करते हुए धोखाधडी छलपकट से कराया गया है जबकि मौके पर आज भी मिन अपीलान्ट का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया है और नाही मौके की जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को कानूनन बुलाना चाहिए था और अपीलान्ट को सुनकर निर्णय देना चाहिए था। एवं मौके की स्थिति देख कर व पूरी जांच करके निर्णय देना चाहिए था लेकिन रेस्पाडेन्टान से साजबाज होकर गलत निर्णय दिया है। जिससे हम अपीलान्टन को भारी नुकसान है। चूँकि मौके पर अपीलान्ट काबिज है। रेस्पाडेन्ट सं.2 का कोई कब्जा नही है। यह कि मिन अपीलान्टन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी और नाही तलब किया गया है तथा कुल कार्यवाही मिन अपीलान्ट के पीछे से बालाबाला की गई है। उक्त इंतकाल से मिन अपीलान्ट के हक हकूक जायल हो रहे है तथा अपने अधिकारो की रक्षार्थ हेतु अपील पेश किया जाना आवश्यक है जिस हेतु अलग से धारा 96 जा०दी० के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अनुरोध है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाये तथा ग्राम शाहजहाँपुर तहसील नीमराणा जिला अलवर का तहसीलदार साहब नीमराणा जिला अलवर का इंतकाल संख्या 3946 ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराणा दिनांक 08.02.2022 निरस्त किया जाये।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि इन्तकाल संख्या 3946 वाके ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराणा द्वारा विधिवत् रूप से सही स्वीकार किया गया है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने बैयनामा का उचित प्रतिफल अपीलान्ट को देकर विधिवत् रूप से बैयनामा करवाया था। बैयनामा के एवज में प्रतिफल राशि जरिये चैक अपीलान्ट को अदा की गई थी। उसमें कोई भी चैक बाउन्स नहीं हुआ। प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि अपीलान्ट को प्राप्त हो गई एवं उसी समय से आदिनांक तक मौके पर हमारा कब्जाकाश्त है। चूंकि अपीलान्ट मुकदमेबाज/चालाक व झुठा व्यक्ति है। इन्होंने हम अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिए एक झूठा मुकदमा उपखण्ड अधिकारी नीमाराणा के समक्ष मु0 नम्बर 239/2016 बउनवान राजबाला बनाम महेश कुमार पेश किया गया जिसमें अपीलान्ट ने कहा कि हमें उक्त बैयनामा कि प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं हुई है उक्त दावे के साथ प्रार्थना पत्र 212 आटीएक्ट के तहत पेश किया गया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिये जाने के कारण दिनांक 29.06.2017 को नोट प्रेस कर लिया गया। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष दुसरा वाद उपरोक्त आराजी बाबत मु0 न0 117/2017 बउनवान राजबाला सैनी बनाम विमला कंवर वगै0 वाद बाबत विभाजन हुक्म ईम्तनाई दवामी पेश किया गया व इस दावे के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 आटीएक्ट का पेश किया गया जिसमें न्यायालय को मुगालते में रख कर स्थगन प्राप्त कर लिया जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 07 निमय 11 जाप्ता दीवानी पेश किया गया जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा द्वारा विधिवत्रूप से सुनवाई कर रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी दिनांक 10.12.2019 को स्वीकार कर अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया था। इसके बाद अपीलान्ट ने एक वाद बाबत निरस्तीकरण

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

एवं रद्दकरण नुमायशी बयनामा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 बहरोड़ जिला अलवर राजस्थान के समक्ष मु0 न0 07/2019 बउनवान राजबाला सैनी बनाम महेश कुमार पेश किया जिसे न्यायालय ने सुनवाई कर दिनांक 24.08.2021 को खारिज कर दिया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा बताई गई एफ. आई आर. संख्या 894/2015 में रेस्पोडेन्ट महेश कुमार के खिलाफ नहीं है। ना तो अपीलान्ट उक्त आराजी पर मौके पर कोई कब्जा और ना हीं राजस्व रिकार्ड में अंकित है।

अन्त में वकिल रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि उक्त तथ्यों को घ्यान में रखते हुऐ अपीलान्ट की उक्त अपील मय हर्जा खर्चा खारिज कि जावे।

हमने वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार नीमराणा के द्वारा विधिवत नामान्तरण तस्दीक किया गया है अपीलान्ट के द्वारा वर्णित तथ्य प्रकरण में चस्पा नहीं होत है जबकि वकील रेस्पोडेन्ट की बहस प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होती है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट साबित नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते